Following resolution was unanimously adopted in the Conference in this respect : –

> Efforts should be made to provide special coaching for Scheduled Caste/Scheduled Tribe students and scholarships for them to pursue higher education, to enable them to come to the desired level.

The State Education Ministers Conference held on June 2, 1981 had received and generally endorsed the recommendations of the Conference of the Vice-Chancellors in this respect.

**Sino-India Trade Relations**

2663. SHRI HANNAN MOLLAH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) what positive and specific steps, if any, have been or are being taken to promote and develop trade relations with the Peoples Republic of China;

(b) outcome of the steps taken so far : and

(c) total current value of import from and export to China ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : (a) Since the resumption of trade with China in 1977, from the Indian side, HMT, FICCI, MMTC, STC and others including individual businessmen have been visiting China. Similarly Chinese have been sending delegations for discussions with both public sector undertakings and private business houses. Trade between the two countries was also included in discussions between officials of both sides during the Chinese Foreign Minister's visit to India.

(b) There has been a gradual increase in trade between the two countries. However, the commodities exchanged are rather limited.

(c) During the year 1980, Indian exports to China amounted to US$ 57.20 million. Imports from China were of the value of US$ 38.00 million.

**भागलपुर-बिहपुर रेल स्टीमर सेवा**

2664. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागलपुर से बरारी-महादेवपुर-बिहपुर के बीच रेल स्टीमर सेवा कब से चल रही है और भागलपुर आदि को उत्तर और दक्षिण से जोड़ने में इसका क्या महत्व या भूमिका है ;

(ख) बरौनी या फरक्का होते हुए बिहपुर और भागलपुर के बीच दूरी कितनी है और उसे तय करने में कितना समय लगता है ;

(ग) क्या सरकार का भागलपुर-बिहपुर रेल-स्टीमर सेवा बन्द करने का विचार है, यदि नहीं, तो इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) इस सेवा से सरकार को तीन वर्ष पूर्व तथा अब कितनी दैनिक आय होती है ; और

(ङ) आय में कमी होने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) भागलपुर से बरारी-महादेवपुर-बीरपुर तक

गाड़ी/स्टीमर सेवाएं 1906 में शुरू की गईं थीं। इस गाड़ी/स्टीमर सेवा थानाबीरपुर और भागलपुर के बीच की दूरी कम हो जाती है।

(ख) बरौनी के रास्ते भागलपुर और थाना बीरपुर के बीच की दूरी 276 कि० मी० और चाम ग्राम के रास्ते 345 कि० मी० है। बरौनी जंक्शन के रास्ते बीरपुर से भागलपुर पहुंचने में लगभग 10 घण्टे और 40 मिनट तथा न्यू फरक्का के रास्ते 16 घण्टे 30 मिनट लगते हैं।

(ग) गतायु फ्लाटिला, जिनमें भारी मरम्मत और बदलाव कार्य अपेक्षित है तथा जो अलाभप्रद है, के कारण होने वाली परिचालनिक कठिनाइयों के कारण बरारी घाट से महादेवपुर घाट तक स्टीमर सेवा की समीक्षा की गई है, आगे समीक्षा करने तक इस सेवा के फेरों में कमी करके प्रतिदिन उसे 2 कर दिए गये हैं।

(घ) और (ङ) पिछले चार वर्षों के दौरान घाट उतराई सेवा से होने वाली दैनिक आमदनी निम्न प्रकार से थी :

| | |
|---|---|
| 1977-78 | 1,493 रुपये |
| 1978-79 | 1,370 रुपये |
| 1979-80 | 2,208 रुपये |
| 1980-81 | 2,186 रुपये |

भारी संचलन और अनुरक्षण खर्चों के कारण रेलों को हानि हुई है।

**रेल सेवा आयोग**

**2665. श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद के सदस्यों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इसमें राजस्थान के कितने सदस्य हैं तथा वे आयोग की स्थापना के बाद कब से नियुक्त हैं और उनकी कार्य अवधि कब तक की है; और

(ग) रेल सेवा आयोग में सदस्यों के नामांकन का क्या मानदंड अपनाया जाता है?

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) इस समय रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद में सदस्य सचिव का केवल एक पद है।

(ख) इस आयोग में राजस्थान के किसी व्यक्ति को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है।

(ग) भर्ती नियमों की एक प्रति अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न [है ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या LT-2766/81] भर्ती नियमों के अनुसार, जहां तक सदस्य सचिव के पद का सम्बन्ध है, यह पद सेवारत रेलवे अधिकारी द्वारा भरा जाता है। क्षेत्रीय रेलों या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ऐसे अधिकारियों का एक पेनल, जिन्हें रेल मन्त्रालय द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, लोक संघ सेवा आयोग को अन्तिम चयन के लिए भेजा जाता है।